बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :– 2/अ0प्र0–8–21/2015 886 /पटना, दिनांक :– 8-5-2020

लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज वाद संख्या–1/लोक(ग्रा0 कार्य वि0) 04/2008 में माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 03.08.2015 को पारित आदेश के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता से कार्य प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंझवे से झिकटिया पथ के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–573 अनु0 दिनांक 05.02.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर अधिसूचना ज्ञापांक 249 अनु0 दिनांक 06.02.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसके निमित्त श्री के0 एन0 प्रसाद, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकरी एवं श्री राकेश रंजन पाण्डेय, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में प्रथम आरोप मेटल कार्य ग्रेड–1, ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 के पूर्व आवश्यकतानुसार आर0सी0सी0 पुलिया एवं ह्यूम पाईप पुलिया का कार्य नहीं किये जाने से संबंधित है तथा दूसरा आरोप 9.4 कि0मी0 क्रियान्वित पथ लंबाई के विरूद्ध 11.00 कि0मी0 जी0एस0बी0 कार्य की मापी मापीपुस्त में प्रविष्टि के कारण अतिरिक्त लंबाई में कार्य अंकण एवं भुगतान किये जाने से संबंधित है।

4. श्री के0एन0 प्रसाद के सेवानिवृत होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक 572 दिनांक 24.03.2017 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री शंकर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। श्री शंकर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1041 दिनांक 11.05.2018 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख ग्रामीण, कार्य विभाग, बिहार, पटना को नामित किया गया।

5. श्री सुभाष चन्द्र, अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 01 अनु0 दिनांक 04.01.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

6. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरान्त प्रथम आरोप के संदर्भ में दिये गये संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी, किन्तु संचालन पदाधिकारी के दूसरे आरोप के संदर्भ में दिये गये मंतव्य की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि पथ की कुल लम्बाई 11.8 कि0मी0 है। 9.8 कि0मी0 से आगे 11.8 कि0मी0 तक कच्ची सड़क जो कदहर नहर का सेवा पथ है। इस सेवा पथ पर मिट्टी कार्य प्रारंभ किया गया, किन्तु तिलैया नहर प्रमंडल की आपत्ति के कारण सड़क निर्माण कार्य रूक गया। इसका कारण कार्य प्रमंडल द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये कार्य प्रारंभ करने का था। इस प्रकार मात्र 9.4 कि0मी0 में ही जी0एस0बी0 कार्य कराया गया, जबकि 11 कि0मी0 में जी0एस0बी0 कार्य की मापी एवं भुगतान की गयी। उक्त आधारो पर श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित इस आरोप के संदर्भ में संचालन पदाधिकरी के मंतव्य से असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(2) के तहत विभागीय पत्रांक 1142 अनु0 दिनांक 24.04.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

8/5/2020

7. श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान दिनांक 17.05.2019 में कहा गया है कि जॉच पदाधिकारी द्वारा सड़क में मोरम का कार्य होने, जिसका सत्यापन संभव नहीं होने का उल्लेख किया गया है, यह दर्शाता है कि जॉच पदाधिकारी द्वारा 1.6 कि0मी0 कार्य का सत्यापन नहीं किया जा सका, लेकिन कार्य कराये जाने का साक्ष्य उन्हें प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 11.8 कि0मी0 में कार्य संपादित कराया गया था। कालांतर में उक्त कार्य के उपर मिट्टी कार्य पुनः हो जाने के बाद जॉच पदाधिकारी को कार्य के साक्ष्य मिले थे। ऐसी परिस्थिति में उक्त मापी अंकन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई अनुचित नहीं माना जा सकता है। साथ ही यह उल्लेख किया गया कि इसी मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता को आरोप मुक्त किया गया है।

8. श्री प्रसाद के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी और पाया गया कि तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पथ की कुल लम्बाई 11.8 कि0मी0 है। 9.8 कि0मी0 से आगे 11.8 कि0मी0 तक कच्ची सड़क जो कदहर नहर का सेवा पथ है। इस सेवा पथ पर मिट्टी कार्य प्रारंभ किया गया था किन्तु तिलैया नहर प्रमंडल की आपत्ति के कारण सड़क निर्माण कार्य रूक गया। इसका कारण कार्य प्रमंडल द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये कार्य प्रारंभ करने का था। 9.4 कि0मी0 क्रियान्वित पथ लंबाई के विरूद्व 11.00 कि0मी0 जी0एस0बी0 कार्य की मापीपुस्त में प्रविष्टि से स्पष्ट है कि न्युनतम 1.6 कि0मी0 पथ लंबाई जी0एस0बी0 कार्य अंकन गलत है। श्री प्रसाद का सहायक अभियंता के रूप में दायित्व मापी पुस्त में गलत प्रविष्टि की जॉच का था, जिसे प्रसाद द्वारा सही ढंग से नहीं किया गया। इस कारण पथ में अतिरिक्त लंबाई 1.6 कि0मी0 के जी0एस0बी0 कार्य का भुगतान हुआ। इस प्रकार श्री प्रसाद का आरोप संख्या–2 के संदर्भ में द्वितीय बचाव बयान अस्वीकार योग्य है।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रसाद द्वारा दिये गये द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए **श्री प्रसाद को बिहार** सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14 (Vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि की रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 252 अनु0 दिनांक 10.01.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3384 दिनांक 17.03.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।

अतः उक्त के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14 (Vi) के तहत **संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि की रोक** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

8
5/5/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–8–21/2015 887 /पटना, दिनांक :– 8.5.2020

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

8/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–8–21/2015 887 /पटना, दिनांक :– 8.5.2020

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–8–21/2015 887 /पटना, दिनांक :– 8.5.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3384 दिनांक 17.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

8/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–8–21/2015 887 /पटना, दिनांक :– 8.5.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, छपरा/गया/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री राजेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/2020

अपर सचिव